



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHUBANI SCORE, MADHUBANI

COURT FEE

Authorization No. 2027



0000

Rs. 0000020

374146

बिहार
JUDICIAL

-1.8.2014

BIHAR

2097 7020505

बिहार
JUDICIAL

0000

0000080

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHUBANI SCORE, MADHUBANI
COURT FEE

2344
105.00 (3)
01/08/2014

A.F. 24091

“प्ररूप 26”

(नियम 4 क देखिए)

37 - राजनगर (सुरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)



ATTESTED
the photograph of Ram
Paswan
Notary
Madhubani (Bihar)
Regd. No. 822/94
11/8/2014

बिहार विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - क

मैं रामप्रीत पासवान **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. लत्तर पासवान आयु 63 वर्ष, जो ग्राम+पो0- सेलीबेली, भाया-जयनगर, जिला-मधुबनी (बिहार) (डाक का पूरा पता लिखे)का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/~~एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 33 - खजौली विधान सभा (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0-87 के क्रम सं0 1383 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9431402258 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) paswanrampriti@gmail.com है।

रामप्रीत पासवान



(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	AVHPP0956C	2013-14	2,28,000=00
2.	स्वयं या पत्नी शोभा पासवान	BC1PP0797A	2013-14	2,12,099=00
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है। किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	1. मधुबनी नगर थाना कांड सं० 303/10 जी. आर. नं.-2425/10 जि०-मधुबनी 2. जी०ओ० केश नं०-138/10, टी.आर. नं. -134/13
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1. 188, 171 भा०द०वि० 2. 188 भा०द०वि०
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	1. मु० न्या० दण्डा०, मधुबनी नगर थाना कांड सं०-303/10 - 18.01.2012 2. मु० न्या० दण्डा० मधु० जी०ओ० नं०-138/10 - 1.10.10
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	मु० न्या० दण्डा०, मधुबनी
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	1. x 2. 02/04-2013
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं



समस्त कार्यवाही

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलो से भिन्न) :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलो के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/ आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ~~ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है~~ और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का ~~दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है~~ है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है : शून्य

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य



~ 21/4/2024 ~

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिपेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	शोभा पासवान पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हव में नकदी	40,000/-	20,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (विवृत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं और बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1. कैनरा बैंक, मधुबनी बचत खाता सं०-1468 मो०-1621/- 2. इलाहाबाद बैंक, मधुबनी बचत खाता सं०-3281 मो०-11655/- 3. एसबीआई, पटना बचत खाता सं०-4761 मो०-21793.28	1. एसबीआई, मधुबनी बचत खाता सं०-7418 मो०-13526/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिपेंचरों/शेयरों तथा वृत्तों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, झक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और झकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	शून्य	L.I.C. मो० - 200000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए दैनिकिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



Harish Chandra Jha

(vi)	मोटरवाहन/वायुमान/घाट/पोत (मे, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि क्रय करके का वर्ष और स्कम)	जाइलो जीप PB-47D-2794 मो0 5,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेयरत, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	स्वर्ण - 20 ग्राम मो0-56000/- रजत-200ग्राम मो0-5000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/ हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	575069=28	294526=00	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

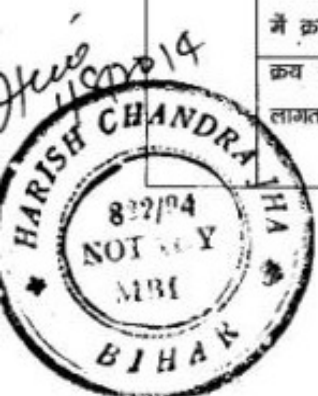
टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्कृत वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	शोभा पासवान पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मौजा-सेलीबेली 939,9399, 7683	मौजा-सेलीबेली- 7683	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1 बीघा 5 कटछ 4 पुर	1 बीघा	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	5 कटछ 1.8.07	7.01.2010	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	72000/-	3,17,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	6,40,000/-	6,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	और कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



समस्त प्रमाण

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संश्लेषण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संश्लेषण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	सेलीबिली- 6257 6259	वार्ड नं०-1 मधुबनी 315	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3800	7600	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000	3000	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	29.12.2006 10.03.2010	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	1,11,000/- 4,22,000/- 19,400/-	शून्य	शून्य	शून्य



21/11/2014

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	हॉ	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	4,00,000/-	60,000000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल घालू बाजार मूल्य	10,40,000/-	66,000000/-	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/को, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	घनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



राम प्रीत सिंह

	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित स्कम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं :- कृषि एवं पेंशन

(ख) पति या पत्नी :- सरकारी कर्म

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

मैट्रिक- के० एस० उच्च विद्यालय चेचराहा (वि० वि० प० समिति पटना) - 1969

अंतरस्नातक - डी० बी० कॉलेज, जयनगर (ल० ना० मि० विश्वविद्यालय, दरभंगा) - 1975

स्नातक - ल० सिंह ज० म० विद्यालय, सरिसवपाही/एल० एम० एन० यू० दरभंगा-1983

स्नातकोत्तर - ल० ना० मि० विश्वविद्यालय दरभंगा - 1987

एल.एल.बी. - ल० ना० मि० विश्वविद्यालय, दरभंगा - 1993

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री रामप्रीत पासवान
2.	डाक का पता	ग्राम+पो-सेलीबेली, भाया-जयनगर, जिला-मधुबनी
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	33-खजौली वि० सभा (बिहार)
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>भारतीय जनता पार्टी</u>
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>शून्य</u>
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है	<u>02</u>
	(उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से)	<u>शून्य</u>



रामप्रीत पासवान

6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य		
		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
7.	(क) अभ्यर्थी	AVHPP0956C	2012.13	2,28000=00
	(ख) शोभा पासवान पत्नी	BCHPP0797A	2013-14	2,12099=00
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	575069=28	294526=00	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां					
	I स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	72000=00	869400=00	शून्य	शून्य	शून्य
	II क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	1200000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	III निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वअर्जित आस्तियों (कुल मूल्य)	640000/-	6600000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	400000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



समर्थित महान

अभिषासी

- टिप्पण- 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण- 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण- 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण- 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण- 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP (C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- टिप्पण- 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
- "मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/ हैं : 9431402258, 9431801258
- मेरा ई-मेल आइड टी (अगर कोई हो) है paswanrampriti@gmail.com
- एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है :- Facebook-[ramprit.paswan.7@facebook.com](https://www.facebook.com/ramprit.paswan.7), Twitter-[@rppaswan](https://twitter.com/rampritpaswan)
7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।



21/09/2019